


कार्यालय— मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बे0)/15-क/ 476 /नवीनीकरण/2018-19 दिनांक 12 मार्च, 2019

नवीनीकरण आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक शिविर(मा0)/15-क/11375-11520/मान्यता/2013-14 दिनांक 13.09.2013 के द्वारा सेन्ट एन्स स्कूल, ए ब्लॉक, नेहरू कालोनी देहरादून (मान्यता कोड 251) को कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के संचालन की अनुमति दिनांक 31.07.2018 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र के आधार पर दिनांक 01.08.2018 से आगामी 5 वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जाता है और पाँच वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


नोट:- आगामी सत्र में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।


(आशारानी पैन्वूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

पृ0सं0 शिविर(बे0)/15-क/ 4792-92 /नवीनीकरण/2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।
6. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य।


(आशारानी पैन्वूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।